

## प्रपत्र-2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म  
भाग-1

छ.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/ स्कीम का राशिपा विवरण।  ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के चर्नों की सीमाओं को दर्शाने याला मैप। ग) परियोजना की लागत। घ) वन क्षेत्र में परियोजना रथापित करने का अधिक्षय। ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।  संलग्न है।  <b>रु0 184.00 लाख</b>  सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोर्मार्ग का निर्माण संलग्न है।  कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि-1.912 हेक्टेयर, आरहित वनभूमि - 0.607 हेक्टेयर, वन पर्यायत भूमि 0.00 हेक्टेयर, (कुल वनभूमि- 2.519 हेक्टेयर) वनभूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो, क) परिवारों की संख्या ख) अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्त्री आवश्यक है? (हाँ/ नहीं)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड रखरुप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वघनवद्धता(वघनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक.....

संमान.....

सहायक अधिकारी  
अधिकारी अधिकारी का दस्तावेज

निर्माण खड़ाक्षेत्रीय

कपकोट

आधिकारी अधिकारी का दस्तावेज  
निर्माण खड़ाक्षेत्रीय  
कपकोट

प्रस्ताव की कम संख्या